तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/2967/2003/पाली सरकार बनाम चिमनदास वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्रीमती विनीता श्रीवास्तव, सदस्य

उपस्थित–

श्री रामसुख चौधरी, उपराजकीय अभिभाषक प्रार्थी
नीतू शेखावत, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 11–08–2021

यह रेफरेन्स अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 27–5–2003 से राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार बाली ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम माचुन्दा तहसील बाली के पुराने खसरा संख्या 721, 752, 763 व 769 की भूमि कुल रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा मिसल बंदोबस्त सम्वत 2009 से 2028 में मंदिर मूर्ति श्री चारभुजाजी के नाम खुदकाश्त दर्ज थी। लेकिन आगामी जमाबंदी सम्वत 2025–2028 के अंकन के समय तत्कालीन पुजारी ने पटवारी से मिलकर जमाबंदी में बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश/आज्ञा के आलोच्य भूमि को अपने नाम दर्ज करवा ली। कालान्तर में अप्रार्थीगण चिमनदास, उम्मेदराम वस भीकाराम के फौत होने से यह भूमि उनके वारिसान के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 203 व 90 से दर्ज कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई विवादग्रस्त आराजी माफी मन्दिर के नाम दर्ज करने हेतु यह रेफरेन्स मण्डल को प्रेषित किया है।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी।

विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 तथा 46 के तहत किसी भी व्यक्ति को माफी मंदिर श्रीचारभुजाजी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/2967/2003/पाली सरकार बनाम चिमनदास वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की भूमि पर खातेदारी नहीं दी जा सकती है। मूर्ति मन्दिर सतत अयवस्क है इस कारण उनकी भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। अतः विवादग्रस्त भूमि पुनः मूर्ति मन्दिर के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे। इसके विपरीत अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत रेफरेंस का विरोध किया है। उनका कहना है कि प्रश्नगत आराजी की खातेदारी अप्रार्थीगण के पक्ष में नियमानुसार प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत आराजी के संबंध में जमाबंदियों में अंकन करने में किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया है तथा मामले में निष्पादित नामान्तरकरण नियमों के तहत स्वीकृत किए गए है। उनका तर्क है कि प्रश्नगत रकबा कभी मंदिर मूर्ति के नाम नहीं रहा है तथा विवादित भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी में पूर्व से चली आ रही है। उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आलोच्य रेफरेंस चल नहीं सकता। अन्त में उन्होंने रेफरेंस को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की है। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार स्पष्ट है कि ग्राम माचुन्दा तहसील बाली के पुराने खसरा संख्या 721, 752, 763 व 769 की भूमि कुल रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा मिसल बंदोबस्त सम्वत 2009 से 2028 में मंदिर मूर्ति श्री चारभुजाजी के नाम खुदकाश्त दर्ज थी। लेकिन आगामी जमाबंदी सम्वत 2025-2028 के अंकन के समय तत्कालीन पुजारी ने पटवारी से मिलकर जमाबंदी में बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश/आज्ञा के आलोच्य भूमि को अनियमित तरीके से अपने नाम दर्ज करवा ली। कालान्तर में अप्रार्थीगण चिमनदास, उम्मेदराम वस भीकाराम के फौत होने से यह भूमि उनके वारिसान के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 203 व 90 से नियमों के विपरीत दर्ज कर दी गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 45	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/2967/2003/पाली सरकार बनाम चिमनदास वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	व 46 के अनुसार नाबालिग व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि की काश्त अन्य व्यक्ति द्वारा करवाई जा सकती है और इसी अधिनियम की धारा 5 के अनुसार नाबालिग द्वारा करवाई गयी काश्त उसके स्वयं द्वारा की गयी ही मानी जावेगी। नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह पुजारी हो या अन्य व्यक्ति हो, खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है और यदि खातेदारी अधिकार किसी प्रकार से प्राप्त हो भी गये है तो वह प्रभाव शून्य ही माने जावेगें। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि मूर्ति मन्दिर सतत अवयस्क है उसकी खुदकाश्त खातेदारी की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर ग्राम माचुन्दा तहसील बाली स्थित विवादित आराजी पुराने खसरा संख्या 721, 752, 763 व 769 वर्तमान खसरा संख्या 1357, 1423, 1407 व 1391 कुल रकबा 2-28 भूमि मंदिर श्रीचारभुजाजी के नाम दर्ज किए जाने की आज्ञा पारित की जाती है। इसके साथ ही जमाबंदी सम्वत 2025-2028 के अंकन तथा नामान्तरकरण संख्या 203 व 90 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज नियमानुसार अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(विनीता श्रीवास्तव)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/2967/2003/पाली सरकार बनाम चिमनदास वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए